रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्येष्ठ 17, 1932

No. 155] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2010

फा. सं. एल-7/14/2010-केंविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 (1) तथा 178 (यड.) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2010 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

(1) इन विनियमों में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ से, अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है जिसमें उसके संशोधन भी सम्मिलित हैं;

(ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ग) " संकुलन रकम" का वही अर्थ है जो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाजार) विनियम, 2010 में है;

(घ) "संकुलन प्रभार" का वही अर्थ है जो समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 में है;

(ङ) "निधि" से इन विनियमों के विनियम 3 के अधीन गठित ऊर्जा प्रणाली विकास निधि अभिप्रेत है;

(च) "रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार" का वही अर्थ है जो भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता विनियम, 2010 में है।

(छ) "अननुसूचित विनिमय प्रभार" का वही अर्थ है जो समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 में है।

(2) यथापूर्वोक्त और जब तक संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो यहां परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा उसके अधीन बनाए गए विनियमों में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो क्रमश: अधिनियम या विनियमों में उसका है।

(3) समय-समय पर यथासंशोधित साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उपबंध इन विनियमों के निर्वचन के लिए ऐसे लागू होंगे मानो वे संसद् के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होते हैं।

3. निधि का गठन :

(1) " ऊर्जा प्रणाली विकास निधि" नामक निधि का गठन किया जाएगा तथा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा :—

(क) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 के अनुसार संकुलन प्रभार ब्याज सहित, यदि कोई हो, को प्राप्त करने के लिए हकदार प्रादेशिक इकाइयों को संदेय रकम देने के पश्चात् ''संकुलन प्रभार खाता'' के नाम में जमा संकुलन प्रभार;

(ख) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाजार) विनियम, 2010 के अनुसार पावर एक्सचेंज में बाजार विभाजन के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की बाजार कीमत में अंतर से प्रोद्भूत संकुलन रकम;

(ग) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुसार अननुसूचित विनिमय प्रभारों के दावों का अंतिम निपटान करने के पश्चात् ''अननुसूचित विनियम पूल खाता निधि'' के नाम में जमा अननुसूचित विनिमय प्रभार;

(घ) रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार खाते में जमा आरएलडीसी रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार;

(ङ) ऐसे अन्य प्रभार जो समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाएं :

परन्तु यह कि इस विनियम के खंड 1 के उप-खंड (क) से (घ) में यथाविनिर्दिष्ट स्रोतों से प्राप्त रकम तथा 30 अप्रैल, 2010 तक केंद्रीय पारेषण उपयोगिता की अभिरक्षा में ब्याज सहित रखी गई रकम को निधि में जमा किया जाएगा ।

(2) ऐसे अधिकरण, जो अपने-अपने विनियमों के अधीन संकुलन प्रभार, संकुलन रकम, अननुसूचित विनिमय प्रभार रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार, तथा ऐसे अन्य प्रभार जो समय-समय पर, आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाएं, संगृहीत करने के लिए हकदार हैं, इस विनियम के खंड (1) के उप-खंड (क) से (ङ.) के अधीन या विनियम 5 के अनुसार ऐसे अन्य आधार पर जो प्रबंध समिति द्वारा ठीक समझे जाएं, निधियों में शेष रकमों को निधि में जमा करने के लिए अंतरण करेंगे ।

(3) सुसंगत विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, इस विनियम के खंड (1) के उप-खंड (क) से (ङ.) तक में उल्लिखित प्रत्येक निधि के लिए पृथक खाता बनाए रखा जाएगा ।

4. निधि का उपयोजन :

निधि का उपयोग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सुसंगत विनियमों के अधीन अनुज्ञेय प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

5. परियोजनाओं, स्कीमों तथा गतिविधियों की बाबत निधि का संवितरण :

(1) विनियम 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निधियों में रकम का संवितरण इन विनियमों के विनियम 4 में उल्लिखित परियोजनाओं, स्कीमों या गतिविधियों के लिए किया जाएगा ।

(2) प्रबंध समिति इन विनियमों के उपबंधों से संगत निधि से संवितरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेगी ।

(3) शंकाओं को दूर करने की दृष्टि से, यह और स्पष्ट किया जाता है कि आयोग की अनुमति के बिना निधि से कोई भी रकम संवितरित नहीं की जाएगी ।

6. पहचान और पूर्विकता के लिए प्रक्रिया :

(1) विनियम 7 के अधीन यथागठित प्रबंध समिति निधि वित्तपोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित स्कीम या गतिविधियों की संवीक्षा करेगी तथा सभी स्कीमों या गतिविधियों को निधि में संसाधनों की कमी के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है तो प्रबंध समिति आयोग के अनुमोदन से निधि देने के लिए परियोजनाओं, स्कीमों या गतिविधियों को पूर्विकता देगी ।

(2) यथास्थिति, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति, उत्पादन कम्पनियां, पोरषण अनुज्ञप्तिधारी, भार प्रेषण केंद्र पावर एक्सचेंज स्कीम की पहचान या पूर्विकता को सुकर बनाने के लिए प्रबंध समिति को परियोजनाओं, स्कीमों या गतिविधियों के आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे ।

7. प्रबंध समिति :

(1) निधि के प्रशासन के लिए आयोग द्वारा एक प्रबंध समिति नियुक्त की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(i) एनएलडीसी/एनएलडीसी तथा आरएलडीसी के कृत्यों को करने वाली इकाई के प्रमुख को आयोग द्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित किया जाएगा;

(ii) प्रत्येक ऊर्जा समितियों (आरपीसी) के प्रतिनिधि;

(iii) प्रत्येक आरएलडीसी के प्रतिनिधि;

(iv) एनएलडीसी का अधिकारी, जो महाप्रबंधक की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे एनएलडीसी के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य संयोजक होगा; तथा

(v) आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो स्वतंत्र बाहरी सदस्य तथा जिसमें से एक सदस्य के पास आयोग की राय में, ऊर्जा क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो तथा अन्य सदस्य के पास ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक अनुभव होना चाहिए :

परंतु यह कि स्वतंत्र बाहरी सदस्यों की नियुक्ति नामनिर्देशन की उनकी स्वीकृति के अधीन रहते हुए होगी ।

(2) स्वतंत्र बाहरी सदस्यों से भिन्न, प्रबंध समिति का सदस्य उस अवधि के लिए पदधारण करेगा जिसके लिए उसे संबंधित संगठन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो ।

(3) स्वतंत्र बाहरी सदस्यों की अवधि नामनिर्देशन की स्वीकृति की तारीख से दो वर्ष की होगी तथा वह दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रबंध समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा :

परंतु यह कि स्वतंत्र बाहरी सदस्य पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(4) निधि के सचिव का नामनिर्देशन उपमहाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों में से एनएलडीसी के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा जो निधि के अभिलेखों के लिए उत्तरदायी होगा ।

(5) ज्येष्ठ प्रबंधक या उससे ऊपर के स्तर के एनएलडीसी के अधिकारी का नामनिर्देशन एनएलडीसी के अध्यक्ष द्वारा निधि के कोषाध्यक्ष के रूप में किया जाएगा ।

(6) प्रबंध समिति का सदस्य अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा जिसकी लिखित सूचना वह निधि के अध्यक्ष को देगा :

परंतु यह कि त्यागपत्र की प्रति निधि के सचिव द्वारा आयोग को भेजी जाएगी :

परंतु यह और कि प्रबंध समिति का सदस्य, जब तक आयोग द्वारा उसके पद त्यागने की अनुमति नहीं दे दी जाती है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) की समाप्ति तक पदधारण करता रहेगा तथा उसके उत्तरवर्ती की सम्यक् रूप से नियुक्ति किए जाने तक या पद की अवधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा ।

8. प्रबंध समिति के सदस्यों का हटाया जाना :

आयोग, सूचना देकर, प्रबंध समिति के किसी सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि वह—

(क) न्यायालय द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें आयोग की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(ग) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) अपनी स्थिति का ऐसे दुरूपयोग किया है जिससे प्रबंध समिति के पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

(ड.) वह साबित कदाचार का दोषी रहा है;

(च) समिति के अध्यक्ष से छुट्टी लिए बिना प्रबंध समिति की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित न हुआ हो; और

(छ) आयोग की राय में संतोषजनक रूप से अपने कर्तव्यों को करने में असफल रहा हो या असमर्थ हो :

परंतु यह कि ऐसी किसी प्रकार की अधिसूचना जारी करने से पूर्व, आयोग सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर देगा ।

9. प्रबंध समिति की बैठक :

(1) प्रबंध समिति की कम से कम चार बैठकें होंगी जो ऐसे तारीख तथा स्थानों में होगी जैसा प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा उचित समझा जाए तथा किसी भी दशा में दो बैठकों के बीच अधिमानत: छह मास से अधिक का अंतर नहीं होगा ।

(2) प्रबंध समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता प्रबंध समिति का अध्यक्ष करेगा तथा यदि वह बैठक में भाग लेने में असमर्थ है तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य सदस्य, तथा ऐसे नामनिर्देशन की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से चयन किया गया सदस्य बैठक की अध्यक्षा करेगा ।

(3) निधि का सचिव चौदह (14) दिनों की लिखित में सूचना देकर किसी भी समय प्रबंध समिति की बैठक बुला सकेगा । ऐसी सूचना में संव्यवहार किए जाने वाले कारबार का विस्तृत कार्यवृत्त अंतर्विष्ट होगा तथा किसी ऐसे संकलन का विवरण भी होगा जिसे बैठक में रखा जाना है:

परंतु यह है कि अति आवश्यकता की दशा में, प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय प्रबंध समिति की विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी, जो सदस्यों को विचार-विमर्श के लिए विषय-वस्तु तथा बैठक बुलाने के कारणों के बारे में अवगत करेगा । ऐसी विशेष बैठकों में कोई साधारण कारबार नहीं किया जाएगा ।

10. कोरम :

(1) जब तक पांच सदस्य उपस्थित न हों तब तक प्रबंध समिति की बैठक में किसी प्रकार के कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि प्रबंध समिति की बैठक बुलाने के लिए नियत समय के पश्चात् आधे घंटे के भीतर कोरम नहीं होता है तो बैठक को उसी स्थान तथा सात दिन के लिए स्थगित किया जाएगा । प्रत्येक सदस्य को ऐसे स्थगन की सूचना फैक्स द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा शीघ्र दी जाएगी । यदि ऐसी स्थगित बैठक का कोरम इसके आरम्भ के आधे घंटे के भीतर नहीं बनता है तो उपस्थित सदस्य उस उस बैठक के कारबार के संव्यवहार के प्रयोजन के लिए कोरम बनाएंगे ।

11. आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना :

(1) प्रबंध समिति की सदस्यता में किसी भी आकस्मिक रिक्ति को आयोग द्वारा शीघ्र ही भरा जाएगा ।

(2) आकस्मिक रिक्ति के प्रति नियुक्त कोई भी व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक नियमित व्यक्ति नहीं आ जाता है या रिक्ति को नियमित आधार पर भरा नहीं जाता है ।

12. समितियां तथा उप-समितियां :

प्रबंध समिति दिन प्रतिदिन के प्रचालनों तथा किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपने स्वयं के सदस्यों में से समितियों या उपसमितियों का गठन कर सकेगी ।

13. कारबार के अभिलेख :

(1) निधि का सचिव प्रबंध समिति द्वारा संव्यवहार किए गए कारबार के अभिलेखों को बनाए रखेगा तथा ऐसे अभिलेखों की प्रतियां समय-समय पर आयोग को प्रस्तुत की जाएंगी ।

(2) प्रबंध समिति की प्रत्येक बैठक में संव्यवहार किए गए कारबार के अभिलेख पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष या ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

14. मतदान :

प्रबंध समिति की किसी भी बैठक के समय आए सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा तथा मत में असमानता होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति का निर्णायक मत होगा ।

15. प्रबंध समिति के कृत्य :

(1) प्रबंध समिति "ऊर्जा प्रणाली विकास निधि" नामक एक खाता खोलेगी या ऐसे अन्य नाम से खाता खोलेगी जिसका विनिश्चय प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसे नई दिल्ली स्थित अनुसूचित बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य खाता पर उसका सहायक खाता के रूप में उक्त बैंक की किसी अन्य शाखाओं में खोला जाएगा जैसा प्रबंध समिति समुचित समझे ।

(2) प्रबंध समिति पर्याप्त खाता बनाए रखेगी तथा स्वतंत्र निधि के रूप में निधि का प्रबंध करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि निधि को आयोग के खातों के साथ नहीं मिलाया गया है ।

(3) निधि से निधियन के परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति पर प्रबंध समिति उपरोक्त विनियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट निधि के उद्देश्यों, परियोजनाओं की अनिवार्यता तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निधि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी ।

(4) प्रबंध समिति भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन प्राधिकृत प्रतिभूतियों में निधि में रखे गए धन का विनिवेश कर सकेगी या अतिशेष निधियों के विनिवेश के लिए आयोग के अनुमोदन से समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकेगी ।

(5) ऐसे प्रस्तावों की संवीक्षा करने के पश्चात् प्रबंध समिति निधि से संवितरण के अनुमोदन के लिए आयोग को लिखित में अपनी सिफारिशें भेजेगी :

परंतु यह कि परियोजनाओं, स्कीमों तथा गतिविधियों की समवर्ती मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए निधि के प्रभावी तथा पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र प्रणाली तैयार की जाएगी :

परंतु यह और कि यदि आयोग या प्रबंध समिति का यह समाधान हो जाता है कि निधि की संवितरित रकम का उपयोग समुचित रूप से नहीं किया जा रहा हो, तो आयोग या प्रबंध समिति के पास अतिशेष स्वीकृत निधि या उसके भाग को रोकने या निलंबित करने की शक्ति होगी ।

(6) प्रबंध समिति, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों से परामर्श कर सकेगी या प्रबंध समिति की सहायता के लिए ऐसे निबंधनों तथा शर्तों, फीस, तथा पारिश्रमिक पर परामर्शकों की नियुक्ति कर सकेगी जैसा प्रबंध समिति द्वारा ठीक समझा जाए ।

(7) प्रबंध समिति यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता, प्रबंध समिति के सदस्यों की बैठक फीस, भत्ते, संविदागत कर्मचारियों के पारिश्रमिक, प्रशासनिक खर्चे, परामर्शकों, सलाहकारों, लेखापरीक्षकों या अन्य अभिकरणों की फीस का विनिश्चय करेगी जिनकी सेवाएं निधि को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं तथा ऐसे खर्चों की पूर्ति निधि में से की जाएगी ।

16. निधि का प्रचालन :

(1) निधि के बैंक खाते का प्रचालन प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में पदाभिहित किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

(2) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पर्याप्त प्राधिकार के सिवाय और/या प्रबंध समिति से स्वीकृति के पश्चात् निधि के लेखाओं से किसी भी प्रकार की निकासी नहीं करेगी।

17. निधि की संपत्ति या आय :

(1) निधि की सभी संपत्तियां, चाहे चल या अचल हों, निधि के नाम निहित होंगी तथा प्रबंध समिति द्वारा प्रशासित की जाएंगी।

(2) निधि के किसी भी भाग का उपयोग लाभांश, बोनस या अन्यथा के रूप में, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी समय निधि के सदस्य हैं या रहा है या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नहीं किया जाएगा :

परंतु यह कि इसमें की कोई बात प्रबंध समिति के किसी सदस्य या निधि के लिए दी गई सेवा के बदले किसी अन्य व्यक्ति या यात्रा भत्ता, विश्राम भत्ता और ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्भावपूर्वक पारिश्रमिक का संदाय करने से निवारित नहीं करेगी।

18. लेखाओं की संपरीक्षा :

(1) वार्षिक रूप से निधि के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए प्रबंध समिति द्वारा रजिस्टीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म/चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाएगी।

(2) प्रबंध समिति पर्याप्त लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगी तथा इस विनियम के खंड (1) के अनुसार नियुक्त संपरीक्षकों के परामर्श से ऐसे प्रारूप में, जैसा प्रबंध समिति द्वारा विनिश्चय किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी।

19. वार्षिक रिपोर्ट:

प्रबंध समिति निधि की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें तुलनपत्र तथा संपरीक्षा लेखा के साथ-साथ वर्ष के दौरान आरंभ किया गया कार्य भी है, तथा उसे आयोग की जानकारी के लिए प्रस्तुत करेगी। प्रबंध समिति निधि उपयोजन की संक्षिप्त तिमाही रिपोर्ट तैयार करेगी जिसे आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

20. निधि का विघटन:

(1) आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि निधि का विघटन ऐसी तारीख से ऐसी अवधि के लिए किया जाएगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) जब इस विनियम के खंड (1) के उपबंधों के अधीन निधि को विघटित किया जाता है तो—

(क) प्रबंध समिति के सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, विघटन की तारीख से सदस्य के रूप में अपने पद को रिक्त कर देंगे ।

(ख) विघटन की अवधि के दौरान, प्रबंध समिति की सभी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो इस निमित्त आयोग नियत करे ।

(ग) सभी निधियां तथा निधि में निहित अन्य संपत्तियां विघटन की अवधि के दौरान, इस निमित्त आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी इकाई में निहित होंगी ।

(घ) विघटन की अवधि की समाप्ति के शीघ्र बाद निधि का पुन: गठन किया जाएगा ।

21. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगा जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

अलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10/असा.]